न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 58/2020
GCMS NO. : 2020/00101

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादी :–
1. मेघाराम पुत्र घेवरराम जाति–जाट निवासी–रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।		1. कानाराम पुत्र घेवरराम 2. बचनाराम पुत्र घेवरराम 3. हणुतराम पुत्र घेवरराम 4. गोराराम पुत्र घेवरराम जातियान जाट निवासीगण रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली। 5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.14/08/2020

उपस्थितः– 1. श्री रमेश कुमावत, श्री चन्दनसिंह गोयल, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 30/05/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा रामावास खुर्द पटवार हल्का रामावास कंला तहसील जैतारण जिला–पाली में खसरा नम्बर 147 रकबा 69–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 159 रकबा 27–13 बिघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 160 रकबा 00–16 बीघा किस्म गै.मु. बेरा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में वादी का 1/3 में से 1/5 वां हिस्सा है। अन्य हिस्से की भूमि सहखातेदार की स्थित है। इसी माफिक वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा काबिज खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित खसरान नम्बरान की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक पुश्तैनी है उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिताजी घेवरराम पुत्र प्रभुराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, तत्पश्चात उनका देहान्त होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरणकरण संख्या 81 पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण जिला–पाली के जरिये वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कि गई थी। लेकिन तत्तकालीन हल्का पटवारी ने वादी का सही नाम मेघाराम की बजाय मेगला नाम की गलत पृवष्टि कर दी व चौसाली जम[illegible] में भी मेघाराम की बजाय मंगला नाम का अंकन कर दिया। [illegible] वास्तविक नाम मेघाराम पुत्र घेवरराम है। वादी के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक सभी में वादी का नाम मेघाराम पुत्र घेवरराम दर्ज है। लेकिन विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में मंगला के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानिया उठानी पड़ रही है। वादी बैंक से अपना साख पत्र नहीं बनवा पा रहा है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधाये ले पा रहा है। जिससे वादी को भारी नुकशान हो रहा है। वादी ने इस प्रकार की गलत प्रविष्टि को दुरुस्त करने हेतु प्रतिवादी संख्या 05 व उनके अधिनिस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होने दिनांक 13.07.2020 को इस प्रकार की दुरूस्ती करने से इन्कार करते हुये न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस प्रकार से वादी की इस विवादित खसरान नम्बरान की भूमि में वादी के सही नाम मेघाराम पुत्र घेवरराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम मंगला पुत्र घेवरराम के स्थान पर वादी दर्ज करवाने, ऐसी घोषणा करवाने व रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर प्रस्तुत है। धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनाक 13.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 05 द्वारा वादी के नाम से दुरुस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला- पाली में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

इस पर वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सम्मन/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी/ तहसीलदार जैतारण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है।

तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि रामावास खुर्द के खसरा नम्बर 147, 159, 160 में वादी का नाम मंगला पुत्र घेवरराम सहखातेदारी में दर्ज है। वादी का नाम जरिये विरासत के ना0सं0 81 के द्वारा दर्ज हुआ है। वादी के सभी सरकारी दस्तावेज मेघाराम पुत्र घेवरराम के नाम से बने हुये है। वादपत्र के बिन्दू संख्या 4 से 6 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में मंगला पुत्र घेवरराम दर्ज है जबकि सही नाम मेघाराम पुत्र घेवरराम है।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में स्वयं का एवं गवाह प्रतिवादी गोराराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है। बहस वकील उभयपक्ष राजस्व वाद बाबत् घोषणा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील वादी पर गौर कर मनन किया। ग्राम रामावास खुर्द की जमाबन्दी संवत् 207[illegible] के खसरा नम्बर 147 रकबा 69-15 बीघा किस्म चाही दोयम, [illegible] नम्बर 159 रकबा 27-13 बिघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 1[illegible] रकबा 00-16 बीघा किस्म गै.मु. बेरा में 'मंगला पुत्र घे[illegible]दारों के साथ बतौर खातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

नामान्तरकरण पंजिका की प्रति (प्रदर्श–2) एवं जमाबंदी संवत् 2031–2034 (प्रदर्श–3) में अंकित नामान्तकरण के नोट से यह स्पष्ट है कि उक्त खसरान में ना.सं. 81 के द्वारा वादी का नाम क्रमशः मेघला व मेगला पुत्र घेवर दर्ज हुआ। जो कालान्तर में चौसाला जमाबंदी में मंगला पुत्र घेवर अंकित कर दिया गया।

2. वादी मेघाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र P/W 01 के अनुसार वादी का सही एवं वास्तविक नाम मेघाराम है ना कि मंगला। वादी ने यह कथन किया कि वादी के अन्य समस्त दस्तावेज मेघाराम पुत्र घेवरराम के नाम से है तथा जमाबन्दी संवत् 2075–2078 में मंगला पुत्र घेवरराम नाम दर्ज होने से उसे भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वादी ने वाद–पत्र में सशपथ यह कथन किये कि वादी का वास्तविक नाम मेघाराम पुत्र घेवरराम है जबकि राजस्व रेकर्ड में मंगला पुत्र घेवर दर्ज होने से वादी अपने जमीन को उपजाउ व उपयोगी बनाने के लिए ऋण लेने में असमर्थ है। अन्य शहादत में गवाह गोराराम पुत्र घेवरराम का साक्ष्य शपथ–पत्र PW-2 प्रस्तुत किया। गवाह गोराराम ने अपने शपथ–पत्र PW-2 में यह सशपथ कथन किये कि "वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की पैतृक पुश्तैनी भूमि है, उक्त भूमि पूर्व में पिताजी घेवरराम पुत्र प्रभुराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। तत्पश्चात् उनका देहान्त होने पर उक्त भूमि जरिये ना.सं. 81 पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण के जरिये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई थी। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी का सही नाम मेघाराम की बजाय मेगला नाम की गलत प्रविष्टि कर दी व चौसाला जमाबन्दी में भी मेघाराम की बजाय मंगला नाम अंकन कर दिया। जो गलत है। वादी का वास्तविक नाम मेघाराम पुत्र घेवरराम है। वादी के पहचान से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक सभी में वादी का नाम मेघाराम पुत्र घेवरराम दर्ज है।"

3. प्रदर्श दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रदर्श–6ए (विद्युत कनेक्शन बिल प्रति), प्रदर्श–7ए (आधार कार्ड), प्रदर्श–8ए (जन आधार कार्ड), प्रदर्श–9ए (बचत खाता पास बुक), प्रदर्श–10ए (मनरेगा रोजगार कार्ड), प्रदर्श–11ए (राशन कार्ड) उक्त दस्तावेजो में वादी का नाम मेघाराम है।

4. प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि राजस्व रेकर्ड मौजा रामावास खुर्द के खसरा नम्बर 147, 159, 160 में वादी का नाम मंगला पुत्र घेवरराम सहखातेदारी में दर्ज है। वादी का नाम जरिये विरासत के ना0सं0 81 के द्वारा दर्ज हुआ है। वादी के सभी सरकारी दस्तावेज मेघाराम पुत्र घेवरराम के नाम से बने हुये है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में मंगला पुत्र घेवरराम दर्ज है जबकि सही नाम मेघाराम पुत्र घेवरराम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:36 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार तहसीलदार के जवाब दावा एवं वादी के शपथ–पत्र एवं सह–खातेदार गवाह गोराराम पुत्र घेवरराम के शपथ–पत्र एवं प्रदर्श दस्तावेजात के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 147 रकबा 69–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 159 रकबा 27–13 बिघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 160 रकबा 00–16 बीघा किस्म गै.मु. बेरा ग्राम रामावास खुर्द के भू–अभिलेख में सह–खातेदार दर्ज **मंगला पुत्र घेवरराम** का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम **मेघाराम पुत्र घेवरराम** है ना कि मंगला पुत्र घेवरराम। अतः भू–अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि 'मंगला पुत्र घेवरराम' के स्थान पर 'मेघाराम पुत्र घेवरराम' किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावास खुर्द पटवार हल्का रामावास कंला तहसील जैतारण जिला–पाली में खसरा नम्बर 147 रकबा 69–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 159 रकबा 27–13 बिघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 160 रकबा 00–16 बीघा किस्म गै.मु. बेरा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"मंगला"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***"मेघाराम"*** दर्ज करते हुये वादी **मेघाराम पुत्र घेवरराम** कौम जाट निवासी ग्राम रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 147, 159, 160 ग्राम रामावास कलां के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:36 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 21 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. मेघाराम पुत्र घेवरराम जाति–जाट निवासी–रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली।		1. कानाराम पुत्र घेवरराम 2. बचनाराम पुत्र घेवरराम 3. हणुतराम पुत्र घेवरराम 4. गोराराम पुत्र घेवरराम जातियान जाट निवासीगण रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली। 5. तहसीलदार जैतारण जिला पाली।

मु०न० :रा०वा०स०– 58/2020

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री रमेश कुमावत, श्री चन्दनसिंह गोयल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रामावास खुर्द पटवार हल्का रामावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान में खसरा नम्बर 147 रकबा 69–15 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 159 रकबा 27–13 बिघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 160 रकबा 00–16 बीघा किस्म गै.मु. बेरा में बतौर खातेदार दर्ज वादी के नाम की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ***"मंगला"*** को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम की प्रविष्टि ***"मेघाराम"*** दर्ज करते हुये वादी **मेघाराम पुत्र घेवरराम** कौम जाट निवासी ग्राम रामावास खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 147, 159, 160 ग्राम रामावास कलां के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/05/2022 को जारी किया गया।

मोहर

(मोहर: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) न्यायालय जैतारण (पाली) राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज०)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	10.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	4.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	4.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	20.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.06.07 16:27:36 IST
Reason: SelfAttested